न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :- 41/2020

शीर्षक

1. श्रीमती सुन्दर देवी पत्नी छीतरमल जाति जाट, निवासी खोरालाडखानी , तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर,
वादीया

बनाम

विवरण

1. हनुमान पुत्र छोटू
2. रामेश्वर उर्फ रामू पुत्र सुन्दर
3. बद्री पुत्र सुन्दर
4. जगदीश पुत्र सुन्दर
समस्त जाति जाट, निवासी खोरालाडखानी , तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
6. उपपंजीयक शाहपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
7. प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.) हाल पी.एन.बी. बैंक शाखा शाहपुरा जयपुर, राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 8-6-22

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0–1431/0.02, 1432/0.03, 1433/0.05, 1446/0.14 कुल किता 4 रकबा 0.24 है0 वाकै ग्राम खोरालाडखानी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है।
2. यह की वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजीयात में वादीया का हिस्सा 1/2 भाग दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर वादीया अपने हक अधिकारों के तहत अपने स्वामित्व की भूमि पर काबिज रहकर उपयोग उपभोग करती हुई चली आ रही है।
3. यह की वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजीयात में वादीया व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें वादीया का हिस्सा 1/2 भाग दर्ज राजस्व रिकार्ड है, तथा वादीया व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार आराजी पर काबिज रहकर उपयोग उपभोग करते हुये चले आ रहे है, वादीया अपने हिस्से व स्वामित्व हक अधिकार के तहत काबिज रहकर आराजी पर प्रतिवादीगण के शामिल में ही आराजी का कब्जे काश्त के आधार पर उपयोग उपभोग करती हुई चली आ रही है, वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजीयात का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य आज तक कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है, और अब वादीया का प्रतिवादीगण के साथि मिलक आराजी पर काश्त करना संभव नहीं होने के कारण वाद के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजीयात का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य सरस नरस के आधार के आधार पर कानूनी बटवारा किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।
4. यह कि वादीया दिनांक 20/09/2020 को अपने हक अधिकार, कब्जेशुद्धा स्वामित्व की आराजी की देखभाल कर रही थी तो प्रतिवादीगण एक राय होकर वादीया की कब्जेशुदा हक अधिकार व स्वामित्व की आराजी पर जबरन घुसकर वादीया को आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमादा हो गये और वादीया के साथ गाली गलौच कर वादीया को एलानिया धमकी दी कि उक्त विवादित आराजी हमारे नाम होने के कारण इसके विशिष्ठ भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियों को कर देगे, इस कारण वादीया का उक्त विवादित आराजी का सयुक्त रूप में रहकर उपयोग उपभोग करना संभव नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त विवादित आराजी का कानूनी बंटवारा किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

5. यह कि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त अवैध मन्सूलो में कामयाब हो गये और उन्होने बिना किसी हक अधिकार व बिना किसी कानूनी बंटवारे के ही वादीया के कब्जेशुदा स्वामित्व व हक अधिकार ही आराजी पर जबरन लठ के जोर से कब्जा कर वादीया को आराजी से बेदखल कर उक्त भूमि पर जबरन पुख्ता निर्माण कार्य कर उक्त आराजी के विशिष्ट भू–भाग को दीगर व्यक्तियों को रहन बय हस्तानतरण कर दिया तो वादिया को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपुर्ति किसी प्रकार धनराशि में संभव नहीं होगी और वादीया को अनेको मुकदमे बाजी में फसना पडेगा। वादीया आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा करवाने व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारीणी है इस कारण भी आराजी मुतनाजा का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य सरस नरस के आधार पर कानूनी बंटवारा किया जाने हेतु वादपत्र पेश किया है।
6. अन्त में निवेदन किया कि आराजी ख0नं0–1431/0.02, 1432/0.03, 1433/0.05, 1446/0.14 कुल किता 4 रकबा 0.24 है0 वाकै ग्राम खोरालाडखानी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं सरस नरस के आधार पर कानूनी बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारे में आई भूमि पर वादीया को अलग से कब्जा करवाया जावे ताकि उक्त बंटवारे का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे, तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे के कि वादीया के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करे।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गये। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 26.11.20 को प्रकरण में उपस्थित आये उसके बाद ना तो प्रकरण में उपस्थित हुए तथा न हीं कोई जवाब दावा पेश किया गया । प्रकरण में दिनांक 7.4.2022 को दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया गया कि खातेदार/पक्षकारान को सूचित करते हुए कब्जे कास्त, रास्ता तथा सरस नरस के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवावे । तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/2022/ 960 दिनांक 21.3.2022 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील वादी ने कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया तथा जरिये एकतरफा बहस में दावा अन्तिम डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया । तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जो सही होना पाया गया तथा प्रस्तुत प्रकरण में मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है कि आराजी ख0नं0–1431/0.02, 1432/0.03, 1433/0.05, 1446/0.14 कुल किता 4 रकबा 0.24 है0 वाकै ग्राम खोरालाडखानी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. प्रतिवादी सं0 1 से 4 जगदीश , बद्रीप्रसाद, रामेश्वर पि0 सुन्दर हि0 2/3 , हनुमान पुत्र छोटू हि0 1/3 जाति जाट सा0 देह आ0ख0 न0 1446/1 रकबा 0.12 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।
2. वादिया सुन्दर देवी पत्नी छीतरमल हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 देह राहिन हि0 1/3 ओबीसी बैंक शाखा शाहपुरा खातेदार आ0ख0 न0 1431/0.02, 1432/0.03, 1433/0.05, 1446/2,रकबा 0.02 कुल किता 4 रकबा 0.12 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीगण /प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8-6-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 41/2020

शीर्षक

श्रीमती सुन्दर देवी पत्नी छीतरमल जाति जाट, निवासी खोरालाडखानी , तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर,
वादीया

बनाम

1 हनुमान पुत्र छोटू
2 रामेश्वर उर्फ रामू पुत्र सुन्दर
3 बद्री पुत्र सुन्दर
4 जगदीश पुत्र सुन्दर
समस्त जाति जाट, निवासी खोरालाडखानी , तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
6 उपपंजीयक शाहपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
7 प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.) हाल पी.एन.बी. बैंक शाखा शाहपुरा जयपुर, राजस्थान
प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 8-6-22

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि आराजी
ख0न0–1431/0.02, 1432/0.03, 1433/0.05, 1446/0.14 कुल किता 4 रकबा 0.24 है0 वाकै ग्राम
खोरालाडखानी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. प्रतिवादी सं0 1 से 4 जगदीश , बद्रीप्रसाद, रामेश्वर पि0 सुन्दर हि0 2/3 , हनुमान पुत्र छोटू हि0
1/3 जाति जाट सा0 देह आ0ख0 न0 1446/1 रकबा 0.12 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

2. वादिया सुन्दर देवी पत्नी छीतरमल हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 देह सहित हि0 1/3 ओबीसी बैंक
शाखा शाहपुरा खातेदार आ0ख0 न0 1431/0.02, 1432/0.03, 1433/0.05, 1446/2,रकबा
0.02 कुल किता 4 रकबा 0.12 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीगण
/प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के
कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज तारीख 8-6-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. अधिकार पत्र के लिए स्टाम्प 3. अर्जी के लिए स्टाम्प 4. ..... पर प्लीडर की फीस 5. गवाहों के लिए निर्वाह व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील	/	अधिकार पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
योग		योग	